न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 18 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

1. जेठाराम पुत्र निम्बाराम
2. हीराराम पुत्र निम्बाराम
3. रायचन्दराम पुत्र निम्बाराम
4. हेमी पत्नी निम्बाराम
5. रणछाराम पुत्र शम्भुराम
6. गणेशाराम पुत्र शम्भुराम
7. टीकमाराम पुत्र शम्भुराम
8. मलाराम पुत्र किरताराम
9. नैनाराम पुत्र किरताराम जाति जाट निवासी धतरवालों का सरा, पटवार क्षेत्र छीतर का पार भू अभिलेख निरीक्षक भीमड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम1.भैराराम पुत्र मानाराम
2.केहराराम पुत्र मानाराम
3.पोकरराम पुत्र मानाराम
4.नगाराम पुत्र पूनमाराम
5.किस्तुराराम पुत्र प्रहलादराम
6.अचलाराम पुत्र प्रहलादराम
7.पदमाराम पुत्र प्रहलादराम
8.मुकनाराम पुत्र नारणाराम
9.चेतनराम पुत्र नारणाराम
10.भूरी पुत्री नरसिंगाराम जाति जाट निवासी धतरवालों का सरा, पटवार क्षेत्र छीतर का पार भू–अभिलेख निरीक्षक भीमड़ा तहसील बायतु जिला बाड़मेर
11.स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा कवास तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर जरिये शाखा प्रबन्धक

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 143 / 2018 बअनवान भैराराम वगै. बनाम जेठाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 11.09.2019 व संशोधित आदेश दिनांक 10.12.2019 के विरूद्व पेश हुई ।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सोहनलाल चौधरी रेस्पोडेण्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 09.04.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने खेत खसरा संख्या 25 मौजा धातरवालों का सरा पटवार मण्डल छीतर का पार तहसील बायतु की भूमि पर अपने सेढा पाड़ोसी खसरा संख्या 436 / 2 रकबा 21.12 बीघा, खसरा संख्या 435 / 23 रकबा 07.17 बीघा, खसरा संख्या 342 / 23 रकबा 08.12 बीघा व खसरा संख्या 504 / 342 रकबा 01.08 बीघा भूमि में से आने जाने हेतु आवागमन हेतु रास्ते की घोषणा करवाने चाहते है इस आशय का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटगण की व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुई। जिस मौका फर्द का अवलोकन कर अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया वह एकपक्षीय रूप से तैयार की गई। तहसीलदार

राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

बायतु द्वारा विवादित रास्ते की भूमि का निरीक्षण करने से पूर्व पत्रावली कायम कर अपीलांटगण को कोई मौका देखने संबंधी नोटिस देकर सूचित नहीं किया और न ही तहसीलदार बायतु ने स्वंतत्र मौतबिरों के रूबरू मौका निरीक्षण ही किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सम्मनों पर अपीलांटगण की व्यक्तिगत रूप से सम्यक तामील नहीं हुई। अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलाधीन आदेश जिस मौका फर्द के अनुसार पारित किया गया वह एकपक्षीय रूप से अपीलांटगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। रेस्पोडेंट/प्रार्थी के पास वैकल्पिक रास्ते का विकल्प मौजूद होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस गौर किये बिना अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित किया गया। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांटगण को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपीलाधीन आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के विरूद्ध जाकर पारित किया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो मौका रिपोर्ट मंगवाई गई उसके आधार पर रेस्पोडेण्टगण/प्रार्थी के खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए अपीलाधीन प्रस्तावित रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया है जिससे

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत आवेदन में प्राप्त मौका फर्द पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने आपति के मद्देनजर पुनः मौके से मौका फर्द मंगवाई। अंतिम बार प्राप्त मौका फर्द दिनांक 16.08.2019 पर विवेचन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया है कि प्रार्थीगण के चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। अर्थात उक्त मार्ग के अतिरिक्त कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के बीच कोई सीमा विवाद व कोई वाद न्यायालय में विचाराधीन नहीं है चाहे गये रास्ते में कोई निर्माण कार्य नहीं है। अपीलांटगण येन केन प्रकारेण प्रस्तावित रास्ते में अवरोध पैदा करना चाहते है। अपीलांटगण की गैर कानूनी मांग स्वीकार्य नहीं हैं। रेस्पोडेंट/प्रार्थी को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता और अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नहीं होने से न्यूनतम दूरी वाला रास्ता दिया गया है जो नितांत विधि सम्मत एवं युक्तिसंगत है। अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए वाद विस्तृत विवेचन दिया है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अपीलांटगण की केवल हठधर्मिता के मद्देनजर रेस्पोडेंट/प्रार्थी को उसको मिले रास्ते के विधिक अधिकार से वंचित रखना कतई न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 143/2018 बअनवान भैराराम वगै. बनाम जेठाराम वगै. में पारित आदेश दिनांक 11.09.2019 व संशोधित आदेश दिनांक 10.12.2019 को यथावत रखा जाता है।

राजस्व अपील प्राधिकारी

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेष आज दिनांक 09.04.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर